न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7–5/आर/79/95 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–1–95 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 12/94–95/निगरानी.

मनोहरलाल पिता छज्जूलाल तम्बोली
निवासी ग्राम राजपुर
तहसील राजपुर जिला प0 निमाड़ .....आवेदक

विरूद्ध

1– काल्या उर्फ कालु पिता मांगीलाल (मृतक) द्वारा वारिसान–
(1) दुलीचंद पुत्र काल्या
(2) दिनेश पुत्र काल्या
(3) गुड्डू पुत्र काल्या
(4) महिला प्रेमबाई बेवा काल्या
निवासीगण ग्राम सनगांव
तहसील राजपुर जिला बड़वानी
2– गज्जू उर्फ गजानंद पिता मांगीलाल भीलाला
निवासी सदर
3– मध्य प्रदेश शासन .....अनावेदकगण

श्री ए0के0 अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक अनावेदक क. 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/5/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–1–95 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम दमदली तहसील राजपुर स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 115/2 रकबा 3 एकड़ वर्ष 1959–60 में आदिवासी बाउ मांगीलाल उमराव पिता नाना व तेजूबाई बेवा नाना के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी । उक्त भूमि वर्ष 77 में आवेदक के नाम से अंकित हुई । अनुविभागीय अधिकारी, बड़वानी द्वारा संहिता की धारा 170 (ख) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 26–11–83 को आदेश पारित कर आवेदक के पक्ष में हुए नामांतरण को सद्भाविक मान्य करते हुए प्रकरण निरस्त किया गया । तदोपरान्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 26–11–83 में अनियमिततायें पाते हुए पुनर्विलोकन किए जाने की अनुमति कलेक्टर, खरगोन से चाही गई । कलेक्टर द्वारा दिनांक 23–11–94 को पुनविलोकन की अनुमति दी गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–1–95 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की जाकर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1983 में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत जांच की जाकर प्रश्नाधीन भूमि के नामांतरण को सद्भाविक मानते हुए दिनांक 26–11–83 को आदेश पारित किया गया है, जिसका पुनर्विलोकन का कोई आधार नहीं होते हुए भी कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के पूर्व आदेश का पुनर्विलोकन करने से रेसज्यूडीकेटा का सिद्धांत लागू होगा । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 26–11–83 में अनेक अनियमिततायें पाई गई है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, और कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के वारिसान एवं अनावेदक कमांक 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर द्वारा दिनांक 23–11–94 को तत्समय उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्विलोकन की अनुमति दी गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसी प्रकार अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–1–95 को न्याय दृष्टांत 1972 आर.एन. 173 पर आधारित होकर इस निष्कर्ष के साथ निगरानी निरस्त की गई है कि पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने में दूसरे पक्ष को सुनना आवश्यक नहीं है, जिसमें भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त अभी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण का अंतिम निराकरण होना है, जहां आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है, और वे प्रकरण के गुण–दोष के संबंध में अपना पक्ष रख सकते हैं । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधि संगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–1–95 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर